वन मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित

- 'हरियर छत्तीसगढ़' योजना में 2431 हेक्टेयर में 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे
- प्रदेश में इको-टूरिज्म बोर्ड की होगी स्थापना
- मानव-हाथी द्वंद को रोकने 'मिशन बी' योजना का होगा 7 जिलों विस्तार
- 5 नए जिलों में सहकारिता विभाग के नवीन कार्यालयों के लिए 100 पदों का होगा सृजन
- वर्ष 2024-25 के बजट में 2432 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान
- पुराने बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रूपए प्रावधानित
- लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए 22 करोड़ 56 लाख रूपए का बजट प्रावधान

रायपुर (आरएनएस)। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए आज 5608 करोड़ 54 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगें छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई। इनमें वन विभाग के लिए 2832 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपए, सहकारिता विभाग के लिए 254 करोड़ 76 लाख 57 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग के लिए 1413 करोड़ 26 लाख 58 हजार रूपए, लघु सिंचाई निर्माण कार्य हेतु 698 करोड़ 19 लाख 90 हजार रूपए, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रूपए और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 353 करोड़ एक लाख रूपए शामिल हैं।

वन विभाग

वन मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि प्रदेश में लगभग 44.24 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। यहां मुख्यत: आद्रर एवं शुष्क साल और सागौन प्रजाति के वनों के साथ ही शुष्क मिश्रित वन एवं बांस के वन पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए 2832 करोड़ रूपए से भी अधिक की राशि का बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया गया है। प्रदेश में हरियाली के प्रसार हेतु वन क्षेत्रों में 'हरियर छत्तीसगढ़' योजना के तहत 2431 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। प्राकृतिक पुनरोत्पादन के संरक्षण के लिए 240 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह बांस वनों के संवर्धन के लिए 68 करोड़ 89 लाख रूपए और बिगड़े वनों के सुधार के लिए 272 करोड़ 4 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत नदी तटों पर भू-क्षरण रोकने के उद्देश्य से अधिक से अधिक पौधों के रोपण हेतु वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ 47 लाख रूपए का प्रावधान है। भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु 119 करोड़ 27 लाख रूपए, पर्यावरण वानिकी के लिए 40 करोड़ रूपए, पथ वृक्षारोपण के लिए 7 करोड़ रूपए, वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण के लिए 8 करोड़ 60 लाख रूपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों और वनवासियों सहित सभी वर्गो के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लाख उत्पादक किसानों व कृषक समूहों को 2 लाख रूपए तक नि:शुल्क ऋण, मत्स्य पालकों को 3 लाख रूपए तक का नि:शुल्क ऋण, उद्यानिकी कृषि के लिए 3 लाख रूपए तक नि:शुल्क ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस योजना के तहत किसानों में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के 15 लाख 23 हजार किसानों को 7 हजार 629 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि सहकारी शक्कर कारखानों के किसानों को गन्ना का मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु 48 करोड़ रूपए का इस बजट में प्रावधान किया है। सहकारी समितियों की अंशपूंजी में वृद्धि हेतु 11 करोड़ 42 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार समितियों में 200 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए 185 करोड़ 31 लाख रूपए की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 409 गोदाम निर्माणाधीन है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोण्डागांव में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र निर्माण हेतु संयंत्र पर हुए डूबत व्यय की राशि 5.99 करोड़ रूपए को राइट-आफ करने निर्णय लिया गया है। उन्होंने 5 नए जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में सहकारिता विभाग के कार्यालय की स्थापना हेतु प्रति कार्यालय 20 पद के मान से 100 पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में कुल 56.83 लाख हेक्टेयर बोया गया क्षेत्र है, जहां निर्मित सिंचाई 35 प्रतिशत है। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए 8 वृहद, 38 मध्यम और 2472 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 827 एनीकट व स्टॉप डेम निर्मित है। इससे प्रदेश के 21.57 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। कश्यप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2432 योजनाएं/कार्यो के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिनके पूर्ण होने से सिंचाई क्षमता में एक लाख 81 हजार हेक्टेयर का विस्तार संभव होगा। बजट में सिकासार-कोडार-इटरलिंकिंग परियोजना के सर्वेक्षण हेतु प्रावधान किया गया है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि सिंचाई की 4 प्रमुख वृहद परियोजनाओं अरपा-भैंसाझार, केलो जलाशय, राजीव-समोदा-निसदा-व्यपवर्तन एवं सोंढूर जलाशय के लिए इस बजट में 316 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

कौशल विकास

कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के लिए इस वर्ष के बजट में 22 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 4 लाख 77 हजार 610 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से 2 लाख 61 हजार 881 युवाओं को नियोजित किया गया है। इस वर्ष 7368 युवाओं को प्रशिक्षित कर 4368 युवाओं को नियोजित किया गया है। वर्तमान में 2395 युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणरत हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

सट्टा खाईवाल के बेटे पर जूटमिल पुलिस की प्रतिबंधक कार्यवाही, चोरी छिपे सट्टा खिलाने की मिल रही थी सूचना

रायगढ़। गत दिनों थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि जूटमिल क्षेत्र में सट्टा खाईवाल कंगालू बरेठ का बेटा हेमराज बरेठ उर्फ पप्पू (35 वर्ष) चोरी छिपे फिर से सट्टा खिला रहा है। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर आज अपने स्टाफ के साथ अनावेदक हेमराज बरेठ के घर दबिश दिये। मौके पर मिले अनावेदक ने वर्तमान में सट्टा पट्टी नहीं लिखना बताया। मुखबिर सूचना के अनुरूप क्षेत्र में अनावेदक के विरुद्ध रोष को देखते हुए संज्ञेय अपराध के घटित होने की संभावना पर जूटमिल पुलिस द्वारा अनावेदक हेमराज बरेठ उर्फे पप्पू के विरुद्ध धारा 151, 107,116(3) CrPC के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा कार्यपालिक दंडाधिकारी रायगढ़ के न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।

जागरूकता : थाना प्रभारी तमनार ने महिलाओं को दी साइबर फ्रॉड व महिला संबंधी कानूनों की जानकारी

रायगढ़। दिनांक 24.02.2024 को सृजन महिला संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर द्वारा महिला संघ की सदस्यों को ऑनलाइन फ्रॉड से सजग करते हुए फेक कॉल से बचने, मोबाइल ओटीपी शेयर ना करने और अंजान लिंक को क्लिक ना करने की समझाइश दिया गया तथा साइबर फ्रॉड होने पर तुंरत 1930 पर डायल सहायता प्राप्त करने कहा गया। थाना प्रभारी ने गांव में फेरीवाले तथा सोना-चांदी चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले तथा उठाईगिरी की घटनाओं की जानकारी देकर बैंक/एटीएम से रूपये आहरण करते समय सतर्क रहकर सावधानी बरतने कहा गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी द्वारा पुलिस सहायता के लिए डॉयल 112 अथवा थाना प्रभारी तमनार के नंबर 94791-93217 पर सहायता प्राप्त करना बताया गया है।

शराब पीकर वाहन चला रहे युवक का कटा 15,000 रूपए का चालान

रायगढ़। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने वाहन चेकिंग कर नियमानुसार चालानी कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 22/02/2024 के शाम थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा थाने के प्रधान आरक्षक संजय तिवारी एवं हमराह स्टाफ के साथ हेमू कालाणी चौक पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दरम्यान जांच में एक मोटर सायकल चालक का चालक बिना लायसेंस, शराब सेवन कर वाहन चलाता मिला जिस पर मोटर अधिनियम की धारा 185 एवं 3/181की कार्रवाई कर इस्तगासा जेएमएफसी रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश द्वारा वाहन चालक के कृत्य पर 15,000 रूपये का अर्थदंड काटा गया है।

38 संकुल में टीएलएम निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन

रायगढ़। विकासखंड रायगढ़ के आज 38 संकुल केन्द्रों में टीएलएम निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी संकुलों की 307 शालाओं के शिक्षकों द्वारा अध्यापन के विषयों को आसानी से समझ में आ सकने वाले विभिन्न प्रकार के मॉडल, चार्ट तथा अन्य सीखने योग्य सामग्री का निर्माण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों के द्वारा टीएलएम का निर्माण एवं प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि टीएलएम अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक प्रकार की स्वनिर्मित सामग्री होती है जिसमें किसी पाठ की अवधारणा को समझने में बच्चों को आसानी होती है तथा वह शीघ्रता से पाठ में निहित अवधारणा को समझ सकता हैं। टीएलएम का निर्माण शिक्षक की स्वयं की क्षमता तथा कल्पना शक्ति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजन से शिक्षक स्वयं तो टीएलएम का निर्माण करते ही हैं साथ ही अपने साथी शिक्षक के द्वारा बनाए गए टीएलएम को भी देखकर सीखते हैं। निर्मित टीएलएम का उपयोग सभी शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान करेंगे। संकुल स्तरीय टीएलएम निर्माण कार्यशाला का आयोजन विकासखंड शिक्षा अधिकारी जी.आर. जाटवर के निर्देशन तथा मनोज अग्रवाल विकासखंड स्त्रोत समन्वयक के मार्गदर्शन में किया गया।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने पीएम आवास योजना के 325 हितग्राहियों को कराया सामूहिक गृह प्रवेश

- रायगढ़ जिले में 50 हजार से अधिक आवास पूर्ण

रायगढ़। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम आज जिले के 325 लोगों के लिए खुशियों की विशेष सौगात लेकर आया। आज इन हितग्राहियों के खुद के पक्के मकान का सपना साकार हुआ। केंद्रीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व प्रदेश के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के द्वारा इन हितग्राहियों को सामूहिक गृह प्रवेश कराया गया। इनमें से 300 आवास ग्रामीण क्षेत्रों के हैं वहीं 25 आवास शहरी इलाके में पूर्ण कराए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मंच से पुसौर विकासखंड के ग्राम औरदा के थिबारू साव, ग्राम-सूरजगढ़ के रत्थु मांझी, ग्राम लोहरसिंह के मित्रभानु प्रधान और रायगढ़ विकासखंड के बनसिया के मनोहर लाल व धनागर के लक्ष्मी प्रसाद को गृह प्रवेश कराया गया। इस दौरान कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल व सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव मंच पर उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि कलेक्टर गोयल के निर्देश व सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में रायगढ़ में पीएम आवास के कार्यो को तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पूर्ण करने के मामले में रायगढ़ पूरे प्रदेश में अग्रणी जिला रहा है। पिछले दिनों जिले के सभी विकासखंडों में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर हितग्राहियों के तीव्र गति से पूर्ण कराए जा रहे हैं। जिससे लोगों को योजना का लाभ जल्द मिल सके। सीईओ जिला पंचायत यादव ने बताया कि रायगढ़ जिले में 50 हजार से अधिक आवास कराए पूर्ण कराए जा चुके हैं। अभी तक प्राप्त लक्ष्य के 87 प्रतिशत आवास पूरे हो चुके हैं तथा शेष मकानों को भी मार्च माह अंत तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए कर सकते है ऑनलाईन आवेदन

रायगढ़। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना केन्द्र शासन की एक योजना है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार व आधुनिकीकरण, स्व सहायता समूहों द्वारा स्थापना, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र, सामान्य उद्भवन केन्द्र स्थापित करने एवं विस्तार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर शासन द्वारा पूंजीगत ऋण पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए हितग्राही, इच्छुक व्यक्ति, स्व-सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्वयं अथवा डीआरपी (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से वेबसाईट https://pmfme.mofpi.gov.in में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

योजनांतर्गत विस्तृत जानकारी हेतु डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन-श्री रविशंकर चौहान मोबा.नं 8435202560, प्रकाश सोनी मोबा.नं.-9098412750 एवं सुनील अग्रवाल मोबा.नं. 8875119184 में संपर्क कर सकते है अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुदान की मात्रा

पूंजीगत अनुदान के तहत व्यक्तिगत परियोजना-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये, स्व-सहायता समूह-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये, किसान उत्पादक संगठन-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये तथा सामान्य उद्भवन केन्द्र-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत एवं अधिकतम 10.00 लाख रूपये है। इसी तरह ब्याज में छूट इंटेरेस्ट सबवेन्शन तथा टॉप-अप कनवर्जेस योजना में ब्याज में छूट प्रदान किया जाता है।

ये लगेंगे दस्तावेज-

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास के संबंध में दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पास बुक, पिछले छ:माह का बैंक स्टेटमेंट एवं पैन कार्ड आवश्यक है।

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के हाथों में जनमन

- 0 कहा सारगर्भित ढंग से की गई जनमन पत्रिका की प्रस्तुति जनोपयोगी

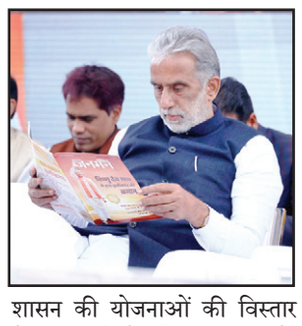

रायगढ़। केंद्रीय राज्य मंत्री विद्युत एवं भारी उद्योग कृष्ण पाल गुर्जर ने विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के दौरान जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका जनमन का अवलोकन किया। गुर्जर ने विषयवस्तु को विस्तार से देखा और कहा कि शपथ ग्रहण के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार ने जिन योजनाओं को लागू किया, जनकल्याण के लिए जो काम किये गये, उन्हें इस पत्रिका में सारगर्भित ढंग से सहेजा गया है। शासन की योजनाओं की विस्तार से जानकारी के लिए तथा इसके माध्यम से नागरिकों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों को यह पत्रिका सुंदरता से प्रस्तुत कर रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में शामिल होने दिल्ली से पहुंचे थे।

सरिया नगर पंचायत में मांगलिक भवन और उद्यान निर्माण के लिए 1.2 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया नगर पंचायत में मांगलिक भवन और उद्यान के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख 13 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद दोनों कार्यों के लिए स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने दोनों कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा सरिया नगर पंचायत में डॉ. बी.आर. अंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन के लिए 73 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा सरिया में उद्यान निर्माण के लिए 46 लाख 40 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

हर-घर को सूर्य घर बनाना और हर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना ही लक्ष्य : मोदी

- जिला राजनांदगांव में 907 करोड़ की लागत से 100 मेगावॉट एसी/155 मेगावॉट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट राज्य को समर्पित
- चरौदा-भिलाई में 280 करोड़ की लागत से 50 मेगावॉट रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 'विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़' कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का केंद्र बनाने हेतु सरकार के प्रयास पर भी प्रकाश डाला और राजनांदगांव जिले के 451 एकड़ बंजर भूमि में 907 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित 100 मेगावॉट एसी/155 मेगावॉट डीसी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो रात के दौरान भी आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, उसे राज्य को समर्पित किया। साथ ही चरौदा-भिलाई में 280 करोड़ रूपए की लागत से 50 मेगावॉट रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय थे। अध्यक्षता पर्यटन व संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा की गई। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार हर-घर को सूर्य घर बनाना एवं सरकार उपभोक्ताओं के बिजली बिल को शून्य करने का प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत देश भर में एक करोड़ घरों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए मदद देगी एवं सीधे बैंक खातों में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और उत्पादित अतिरिक्त बिजली सरकार वापस खरीदेगी, जिससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रूपये की आय होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने बंजर भूमि में छोटे पैमाने पर सौर संयंत्र स्थापित करने में किसानों की सहायता करके अन्नदाता को ऊर्जादाता में बदलने पर भी जोर दिया। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, वे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करेंगे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480